वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम– 325

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./अ.अ.(आर.ए. एण्ड सी.)/फा /प्रे.327 दि. 03/05/06

आदेश

विषय : कृषि श्रेणी के बिलों का तदर्थ आधार पर बिलों का भुगतान स्वीकार करने के संबंध में।

पूर्व में आदेश क्रमांक 965 दिनांक 15.09.05 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम–285), क्रमांक 1338 दिनांक 14.11.05 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम–296) एवं क्रमांक 1400 दिनांक 21.11.05 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम–298) के द्वारा यह हिदायत दी गई थी कि सामान्य श्रेणी (मीटर्ड) (कोड–4000), सामान्य श्रेणी फ्लेट रेट (कोड–4100), विशेष श्रेणी एंव ग्रामीण क्षेत्रों में फार्म हाउस श्रेणी के वे उपभोक्ता जिन्हें 24 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है, के कृषि उपभोक्ताओं के बिजली के बिल तदर्थ आधार पर पुरानी दरों पर (टैरिफ–2001) के अनुसार जमा कराये जा सकेंगे। उक्त आदेश में यह भी बताया गया था कि यद्यपि ये बिल नई दरों पर जारी किये जायेंगे किन्तु किसानों से नई दरों पर भुगतान के लिए जोर नहीं दिया जाये एवं भुगतान पुरानी दरों पर स्वीकार किया जाये।

उक्त आदेशों के क्रम में, बिलिंग माह मई, 2006 से शहरी क्षेत्रों में कृषि की फार्म हाऊस श्रेणी के वे उपभोक्ता जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र की तरह ब्लॉक/रोस्टर घंटो में विद्युत आपूर्ति हो रही है, के बिल भी नई दरों पर जारी किये जायें किन्तु बिलों का भुगतान पुरानी दरों पर लिया जाये एवं किसानों को नई दरों पर भुगतान के लिए जोर नहीं दिया जाये। उपरोक्त व्यवस्था बिलिंग माह जून, 2005 से जारी बिलों की बकाया राशि पर भी लागू होगी तथा ऐसे पूर्व में जारी बिलों की पुरानी दर की राशि की गणना उपखण्ड स्तर पर की जाकर बिल का भुगतान पुरानी दर पर स्वीकार किया जाये। भविष्य में शहरी क्षेत्र के इन उपभोक्ताओं को जब भी शहरी क्षेत्र की तरह विद्युत आपूर्ति (Round the clock supply) उपलब्ध होने की दशा में उपरोक्त सुविधा समाप्त कर दी जायेगी एवं टैरिफ भी फार्म हाऊस की नई दरों के हिसाब से ली जायेगी।

बिलों के लेखांकन (Accounting) के बारे में दिशा निर्देश मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर के द्वारा अलग से जारी किए जा रहे है। यह व्यवस्था अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी।

आदेशानुसार

(एन.एम. सिघंवी)
अधीक्षण अभियन्ता (आर.ए. एण्ड सी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

- ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- आयुक्त, जोधपुर / बीकानेर।
- मुख्य अभियन्ता (जोधपुर जोन / सी.पी.एम.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- जिला कलेक्टर, जोधपुर / पाली / बाड़मेर / जालोर / चूरू / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़ / बीकानेर / सिरोही / जैसलमेर।
- वित्तिय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- उप मुख्य अभियन्ता (एम.एम.एण्ड सी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को राज्य सरकार से पुर्नभरण प्राप्त करने हेतु।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर / जिला / पवस / टर्न–की / पीपीएम / एम.एण्ड पी / बी.एफ.एल.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / पाली / जालोर / बाड़मेर / चूरू / बीकानेर / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़ / जैसलमेर।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के अवलोकनार्थ।
- निजी सचिव, सलाहकार(एम), राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय सलाहकार(एम) के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ हेतु।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman-Commissioner, Collectorate, जोधपुर।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधिकारियों को भेजने हेतु अतिरिक्त प्रतिया संलग्न।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर / अजमेर / जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर / अजमेर / जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (नगर / जिला / पवस / एम.एम.अंकेक्षण / वाणिज्य / सीपीसी एंव रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / पाली / जालोर / बाड़मेर / चूरू / बीकानेर / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- सहायक अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम (आप के अधीनस्थ कार्यरत समस्त कनिष्ठ अभियन्ताओं एवम् सहायक राजस्व अधिकारी की अतिरिक्त प्रतियां संलग्न है)।
- माननीय श्री . . . . (सांसद / विधायक / जिला प्रमुख) . . . .।

अधीक्षण अभियन्ता (आर.ए. एण्ड सी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर